[2022] 7 एस.सी.आर. 611

मनोज परिहार एवं अन्य

बनाम

जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 11039/2022)

(27 जून 2022)

[सूर्यकांत एवं जे.बी पादरीवाला, न्यायाधीश]

सेवा विधि: न्यायिक सेवा - वरिष्ठता - निर्धारण - जम्मू एवं कश्मीर राज्य (अब केंद्रशासित प्रदेश) में राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा मुंसिफों की नियुक्ति - अंतः-क्रम वरिष्ठता का निर्धारण/स्थापन, रजिस्टर बिंदुओं के आधार पर या उनके चयन के समय अंतः-क्रम मेरिट के क्रम के अनुसार - अभिनिर्धारित: प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में, चयनित अभ्यर्थियों की अंतः-क्रम मेरिट सूची तैयार करना अपरिहार्य है, भले ही नियम या नीति में स्पष्ट उपबंध न हो, भर्ती प्राधिकारी अंगूठे के नियम के तहत या अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत विधियों को अपनाकर अभ्यर्थियों को अंतः-क्रम चयन सूची में स्थान नहीं दे सकता - चयनित अभ्यर्थियों की अंतः-क्रम मेरिट सूची लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा और/या अन्य निर्धारित मापदंडों के संयुक्त प्रभाव से तैयार की जा सकती है - मेरिट-सह-वरिष्ठता आधारित पदोन्नति के मामले में भी वरिष्ठता स्वयं चयन पद हेतु पदोन्नति का एकमात्र योग्यता नहीं है, यह केवल एक कारक होगी - रजिस्टर प्रणाली केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का कोटा प्रतिबिंबित हो - इसका चयनित व्यक्तियों के बीच अंतः-क्रम वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है - उच्च न्यायालय ने उचित तौर पर अभिनिर्धारित किया कि वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट के अनुसार निश्चित होनी चाहिए न कि रजिस्टर बिंदुओं के अनुसार, अतः उच्च न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप के योग्य नहीं - जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 - नियम 5 - जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) भर्ती नियम, 1967 - नियम 42 - जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण नियम 2005 -

जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 - जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम, 1994 - जम्मू एवं कश्मीर संविधान - अनु. 111 - भारत का संविधान - अनु. 235, 14 और 16।

पूर्वव्यापी प्रभाव: निर्णय, कब पूर्वव्यापी प्रभाव में होता है - अभिनिर्धारित: न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा कहा न जाए - निर्णय/आदेश।

बिमलेस तंवर बनाम हरियाणा राज्य **(2003) 5 एससीसी 604: 2 एससीआर 757**; *पी. वी. जॉर्ज बनाम केरल राज्य* **(2007) 3 एससीसी 557: 1 एससीआर 1198** - उद्धृत।

आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य **(1995) 2 एससीसी 745: 2 एससीआर 35**; *जी. पी. डोवाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार* **(1984) 4 एससीसी 329: 1 एससीआर 70**; *कुलदीप चंद बनाम भारत संघ* **(1995) 5 एससीसी 680: 3 सप्ल. एससीआर 45**; *अजित सिंह बनाम पंजाब राज्य* **(1999) 7 एससीसी 209: 2 सप्ल. एससीआर 521** - संदर्भित।

उद्धृत निर्णय संदर्भ

[1995] 2 एससीआर 35 संदर्भित to पारा 18

[1985] 1 एससीआर 70 संदर्भित to पारा 20

[1995] 3 सप्लीमेंटरी एससीआर 45 संदर्भित पारा 21

[1999] 2 सप्लीमेंटरी एससीआर 521 संदर्भित पारा 23

[2007] 1 एससीआर 1198 निर्भर पारा 26, 27

[2003] 2 एससीआर 757 निर्भर on पारा 30

सिविल अपीलीय अधिकारिता: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 11039/2022

जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय (जम्मू) द्वारा पारित दिनांक 27.05.2022 के कनर्णय एवं आदेश से, एसडब्ल्यूपी सं. 1350/2011 में।

रणजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री बीनू तम्टा, ध्रुव तम्टा, एम/एस तम्टा अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण।

संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, एफ. ए. नतनू, अशोक माथुर, तनवीर अहमद मीर, कार्तिक वेणु, सुश्री स्वाति खन्ना, अर्जुन सिंह भाटी, फहीम शाह, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

<u>आदेश</u>

1. संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील हेतु अनुमति की मांग करने वाली यह याचिका, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय (न्यायिक अधिकारी) के समक्ष दायर एक रिट याचिका में असफल मूल उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा यह उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एसडब्ल्यूपी सं. 1350/2011 में दिनांक 27.05.2022 को पारित कनर्णय एवं आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यहाँ के उत्तरदाता सं. 3 से 19 (मूल रिट याचिकाकर्ता) द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति प्रदान की।

2. इस विशेष अनुमति याचिका को जन्म देने वाले तथ्य निम्नानुसार संक्षेपित किए जा सकते हैं :

2.1 प्रारंभ में, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य (अब केंद्र शासित प्रदेश) में अधीनस्थ न्यायधीश के पद पर पदोन्नति के लिए मुंसिफ (बैच 2003) की वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित मुद्दे पर यह इस न्यायालय के समक्ष वाद का दूसरा चरण है।

2.2 वाद के प्रथम चरण में इस न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि यहाँ के उत्तरदाता (मूल रिट याचिकाकर्ता) जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा, 2002 में उत्तीर्ण हुए थे और उन्हें वर्ष 2002-03 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें यहाँ के याचिकाकर्ताओं की तुलना में मेरिट सूची में उच्च स्थान प्रदान किया गया था। तथापि, ग्रेडेशन सूची जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 के नियम 5 के अधीन प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर लागू करके तैयार की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, ग्रेडेशन सूची में आरक्षित वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने

सामान्य वर्ग के उत्तरदाताओं का स्थान ले लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की ग्रेडेशन सूची को निरस्त करने तथा मेरिट के आधार पर ग्रेडेशन सूची तैयार करने के निर्देश हेतु एक रिट याचिका दायर की गई।

3. उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

"16. वर्तमान याचिका में उठाया गया मुद्दा, खंडपीठ द्वारा अशोक कुमार शर्मा के मामले में दिए गए निर्णय के अंतर्गत पूर्णतः आता है। यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने ग्रेडेशन सूची और उसके परिणामस्वरूप पारित पदोन्नति आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी है कि वे संवैधानिक रूप से अनुमेय नहीं हैं और इसलिए संविधान के परे (अल्ट्रा वायर्स) हैं, तथापि इंद्रा साहनी के मामले में प्रतिपादित विधि तथा जिस पर अशोक शर्मा के मामले में भरोसा किया गया है, वर्तमान मामले का निस्तारण करते समय अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उन आरक्षण नियमों की संवैधानिकता से संबंधित है जिनके आधार पर विवादित ग्रेडेशन सूची तैयार की गई है और इसलिए ग्रेडेशन सूची में इस प्रकार की स्थिति के आधार पर निजी उत्तरदाताओं को पदोन्नत करने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेशों की वैधता से भी संबंधित है। संबंधित ग्रेडेशन सूची तथा उसके आधार पर निजी उत्तरदाताओं के पक्ष में, आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में किए गए पदोन्नति आदेश, केवल इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य हैं। इस प्रकार निकाला गया निष्कर्ष सामान्यतः विवाद का निस्तारण कर देता है। तथापि, यद्यपि यह आवश्यक न भी हो, फिर भी पदोन्नति में आरक्षण योजना की संवैधानिकता के अतिरिक्त, याचिका में उठाए गए अन्य मुद्दों पर विचार करना उचित होगा....

25. उपर्युक्त विवेचित कारणों के आधार पर, हम उत्तरदाता सं. 2 द्वारा जारी दिनांक 01.06.2010 की ग्रेडेशन सूची के विरुद्ध की गई चुनौती में तथा ग्रेडेशन सूची में उनकी स्थिति के आधार पर उत्तरदाता सं. 3 एवं 4 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नत करने संबंधी आदेश में सार पाते हैं। विवादित ग्रेडेशन सूची के आधार पर पारित अन्य आदेशों, जिनके माध्यम से विभिन्न आरक्षित वर्गों से संबंधित निजी उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं पर वरीयता प्रदान की गई, के विरुद्ध की गई चुनौती भी स्वीकार की जाती है। हमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता सं. 1 से 10 पहले ही सिविल

जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नत हो चुके हैं तथा इसी प्रकार उत्तरदाता सं. 3 से 12 और 14 एवं 15 भी पदोन्नत हो चुके हैं। अतः याचिकाकर्ता सं. 1 से 10 का हित अब उत्तरदाता सं. 2 द्वारा संधारित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की वरिष्ठता सूची में उनके समुचित स्थान निर्धारण तक सीमित है...।

26. याचिकाकर्ता सं. 11 से 16 तथा सुश्री मीर अफरोज (प्रतिनियुक्ति पर), अब्दुल कयूम मीर एवं मंज़ूर अहमद ज़रगर, जो मेरिट सूची में क्रम संख्या 19 से 27 पर अंकित हैं, मेरिट सूची में क्रम संख्या 32, 37, 31, 33, 34, 41, 38, 30 पर अंकित उत्तरदाता सं. 4, 5, 7 से 12 से वरिष्ठ हैं तथा विभिन्न उच्च न्यायालय के आदेशों, जिनमें उच्च न्यायालय आदेश सं. 252 दिनांक 04.07.2015 भी शामिल है, के माध्यम से पहले ही सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नत किए जा चुके हैं। अतः याचिकाकर्ता सं. 11 से 16 तथा सुश्री मीर अफरोज (प्रतिनियुक्ति पर), अब्दुल कयूम मीर एवं मंज़ूर अहमद ज़रगर को उत्तरदाता सं. 4, 5, 7 से 12 से पूर्व सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का अधिकार था। उत्तरदाता सं. 2 द्वारा याचिकाकर्ताओं के दावे की उपेक्षा करना तथा उनके दावे पर विचार न करना, संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तथापि, सुश्री मीर अफरोज (प्रतिनियुक्ति पर), अब्दुल कयूम मीर एवं मंज़ूर अहमद ज़रगर वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं के रूप में सम्मिलित नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने उन आदेशों को चुनौती नहीं दी है, जिनके माध्यम से निजी उत्तरदाता सं. 4, 5, 7 से 12 को पदोन्नत किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय आदेश सं. 252 दिनांक 04.07.2015 भी शामिल है। उत्तरदाता सं. 4, 5, 7 से 12 संभवतः काफी समय से सिविल अधीनस्थ न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के रूप में कार्यरत हैं। हमारे पास वर्तमान तिथि तक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रिक्त पदों के संबंध में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह परीक्षण किया जा सके कि याचिकाकर्ता सं. 11 से 16 तथा सुश्री मीर अफरोज (प्रतिनियुक्ति पर), अब्दुल कयूम मीर एवं मंज़ूर अहमद ज़रगर को ऐसे पदों के विरुद्ध, उत्तरदाता सं. 4, 5, 7 से 12 को प्रभावित किए बिना, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है या नहीं तथा तत्पश्चात उन्हें उत्तरदाता सं. 2 द्वारा मेरिट के आधार पर कठोरता से

तैयार की जाने वाली सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की वरिष्ठता सूची में स्थान दिया जा सकता है। अतः हम उन आदेशों को निरस्त करने से विरत रहते हैं, जिनके द्वारा उत्तरदाता सं. 4, 5, 7 से 12 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नत किया गया है। हम उत्तरदाता सं. 2 को निर्देश देते हैं कि वह यह पता लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे कि वर्तमान तिथि तक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के कोई पद रिक्त हैं या नहीं, ताकि उपलब्ध पदों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति पर विचार किया जा सके। ऐसी कार्यवाही आज से तीन माह के भीतर पूर्ण की जाए। यदि ऐसा कोई पद रिक्त नहीं पाया जाता है अथवा याचिकाकर्ता सं. 11 से 16 पर विचार करने के लिए आवश्यक पदों से कम पद रिक्त पाए जाते हैं, तो उत्तरदाता सं. 4, 5, 7 से 12 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नत करने वाले आदेश, याचिकाकर्ता सं. 11 से 16 पर विचार करने की आवश्यकता की सीमा तक, आज से तीन माह की अवधि समाप्त होने पर निरस्त माने जाएंगे और उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत, किसी भी स्थिति में, उत्तरदाता सं. 2 मेरिट के अनुसार वरिष्ठता सूची का पुनर्निर्धारण कर उसे अधिसूचित करेगा।"

4. यहाँ के याचिकाकर्ताओं ने उपर्युक्त उच्च न्यायालय द्वारा पारित कनर्णय एवं आदेश से असंतुष्ट होकर, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 3786 सन् 2016 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उसे चुनौती दी। अनुमति प्रदान की गई। उक्त विशेष अनुमति याचिका का परिणति सिविल अपील सं. 6928 सन् 2021 में हुआ। सिविल अपील सं. 6928 सन् 2021 का अंततः इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित करते हुए निस्तारण किया गया :

"10. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ग्रेडेशन सूची के प्रयोजन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है, और यह मुद्दा उस विधिक स्थिति पर निर्भर करेगा, जिसके संबंध में उच्च न्यायालय क्या दृष्टिकोण अपनाता है। जैसा कि उपर्युक्त उल्लेखित है, श्री गौरव पचनंदा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह कहा है कि उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया है कि ग्रेडेशन सूची अवैध है। उच्च न्यायालय, अपने प्रशासनिक पक्ष पर, इस मामले के इस पहलू पर विचारपूर्ण निर्णय लेने से वंचित नहीं है....

11. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय का दिनांक 27 नवम्बर, 2015 का विवादित कनर्णय एवं आदेश निरस्त किया जाता है। रिट याचिका को नवीन सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय के अभिलेख पर पुनः स्थापित किया जाता है। कार्यवाही की लंबितता को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस याचिका का पुनर्विचार उपरांत, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव दो माह की अवधि के भीतर निस्तारण करे। इस बीच, उच्च न्यायालय के निर्णय तक, वर्ष 2003 बैच की ग्रेडेशन सूची के आधार पर पारित परिणामी निर्देशों को स्थगित रखा जाना उपयुक्त होगा, ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अंतिम परिणाम का अनुपालन किया जा सके। उच्च न्यायालय को इस दौरान प्रशासनिक पक्ष पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी....

12. उपर्युक्त शर्तों के अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।"

5. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, उच्च न्यायालय ने मामले की पुनः सुनवाई की और यह मत व्यक्त किया कि वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि रोस्टर बिंदुओं के अनुसार। हम उच्च न्यायालय द्वारा किए गए प्रासंगिक अवलोकनों, जिसमें विवादित कनर्णय एवं आदेश का प्रचालक भाग भी सम्मिलित है, को निम्नानुसार उद्धृत करते हैं :

13. पूर्व में, यद्यपि यह सत्य हो सकता है कि उच्च न्यायालय, 1994 के आरक्षण नियमों के नियम 14 के अंतर्गत उल्लिखित रोस्टर बिंदुओं के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण करता रहा हो, संभवतः पी.एस. गहलोत के मामले में दिए गए निर्णय के अनुपात के आधार पर, तथापि यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि दिनांक 10.03.2003 को सर्वोच्च न्यायालय ने पी.एस. गहलोत के निर्णय को इस विषय पर उचित विधि स्थापित न करने वाला घोषित कर दिया था, अतः उच्च न्यायालय सहित कोई भी प्राधिकारी वरिष्ठता निर्धारण के आधार के रूप में रोस्टर बिंदुओं को अपनाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था और न ही उसे सब-जज के पद पर पदोन्नति का आधार बना सकता था। यह पुनः उल्लेखित करना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में चयनित अधिकारियों की नियुक्तियाँ जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) भर्ती नियम,

1967 के नियम 42 के अंतर्गत, शासन आदेश दिनांक 06.08.2003 के माध्यम से की गई थीं, अर्थात् बिमलेश तंवर के मामले में निर्णय के उच्चारण के काफी पश्चात।

यही वह सटीक कारण था कि उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया था कि ग्रेडेशन सूची अवैध थी, जो वर्तमान याचिकाओं में चुनौती का विषय है...

14. हमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता तथा निजी उत्तरदाता दोनों को बाद में सब-जज के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है और इसलिए, यद्यपि रिट याचिका में उत्तरदाता सं. 3 एवं 4 की पदोन्नति को प्रारंभिक रूप से चुनौती दी गई थी, तथापि यदि वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट के अनुसार करने का निर्देश दिया जाता है, तो कोई भी पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी....

15. उपर्युक्त विवेचित तथ्यों एवं विधि के आलोक में मामले पर विचार करने के उपरांत, हम निम्नानुसार अभिनिर्धारित करते हैं :-

क. लोक सेवा आयोग द्वारा मुंसिफ के पद हेतु अधिसूचना सं. पीएससी /एक्स-2001/64 दिनांक 04.12.2001 के संदर्भ में की गई चयन प्रक्रिया से संबंधित होने की सीमा तक तथा उस अंश में दिनांक 01.06.2010 की ग्रेडेशन सूची निरस्त की जाती है।

ख. उत्तरदाता संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मेरिट के अनुसार, दिनांक 04.12.2001 की अधिसूचना से संबंधित मुंसिफ के पद हेतु चयन प्रक्रिया के संबंध में वरिष्ठता सूची का पुनर्निर्धारण करे।

ग. ऐसे अभ्यर्थी, जिनमें याचिकाकर्ता भी सम्मिलित हैं, जो विवादित ग्रेडेशन सूची के कारण समय पर पदोन्नत नहीं हो सके और परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2009 के अंतर्गत सीमित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक अनुभव प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र माना जाएगा, यदि उसी पद पर कार्यरत कोई अन्य सिविल जज, जो पुनर्निर्धारित वरिष्ठता सूची में उनसे कनिष्ठ हो, ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र था।

16. तदनुसार, रिट याचिकाओं का निस्तारण किया जाता है।

6. उपर्युक्त से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका के माध्यम से पुनः इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं।

7. श्री रणजीत कुमार, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय गंभीर त्रुटि की है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि इसे विधि का पूर्ण सिद्धांत नहीं माना जा सकता कि वरिष्ठता निर्धारण के प्रयोजन हेतु केवल मेरिट को ही विचार में लिया जाए और रोस्टर बिंदुओं को नहीं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, विशेष रूप से तब जब वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले नियम अनुपस्थित हों, उच्च न्यायालय जैसे प्राधिकारियों पर यह छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे एक निष्पक्ष एवं न्यायसंगत सिद्धांत विकसित करें। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि भर्ती नियम, 1967 में मुंसिफों को सब-जज के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण की विधि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक पक्ष पर, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के समरूप है, अपनी पूर्ण न्यायालय संकल्प दिनांक 04.12.1994 के माध्यम से मुंसिफ के पद हेतु नियुक्त अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण के लिए आरक्षण नियम, 1994 को अपनाने का निर्णय लिया था और इस प्रथा का वर्ष 1995 से 2003 के मध्य निरंतर पालन किया गया।

8. श्री रणजीत कुमार ने यह इंगित किया कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 1995 से वरिष्ठता निर्धारण के लिए रोस्टर के अनुसार पद्धति अपनाई थी। सबसे पहले, इसे वर्ष 1995 में नियुक्त 11 मुंसिफों पर लागू किया गया, तत्पश्चात वर्ष 1997 में नियुक्त 10 मुंसिफों पर, उसके बाद वर्ष 2000 में नियुक्त 32 मुंसिफों पर, फिर वर्ष 2001 में नियुक्त 17 मुंसिफों पर तथा अंततः वर्ष 2003 में नियुक्त 47 मुंसिफों पर लागू किया गया, जिनमें वर्तमान याचिकाकर्ता तथा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित उत्तरदाता भी सम्मिलित हैं।

9. वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस तथ्य पर विशेष जोर दिया कि न तो यहाँ के याचिकाकर्ताओं ने और न ही यहाँ के उत्तरदाताओं ने आरक्षण नियम, 1994 अथवा पूर्ण न्यायालय संकल्प दिनांक 04.12.1994 को चुनौती देना उचित समझा, जिनके आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी तथा उनकी वरिष्ठता रोस्टर के अनुसार निर्धारित की गई थी। दोनों पक्ष इस बात से अवगत और सजग थे कि रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता निर्धारण पूर्ण न्यायालय के निर्णय पर आधारित था और विशेष रूप से इस कारण से कि वर्ष 2003 का बैच वह प्रथम बैच नहीं था, जिसमें आरक्षण नियम, 1994 के अंतर्गत रोस्टर लागू किया गया था।

10. उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2003 में नियुक्ति के पश्चात दोनों पक्षों ने कभी भी वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा रोस्टर के अनुसार अपनाई गई पद्धति की वैधता एवं विधिसंगतता पर प्रश्न नहीं उठाया।

11. वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य से जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 को लागू करके गंभीर त्रुटि की, जो कि जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 के अंतर्गत बनाए गए थे और दिनांक 21.10.2005 को अधिसूचित किए गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कोई पूर्वलक्षी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव नहीं है और उन्हें वर्ष 2003 में नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता था। श्री रणजीत कुमार ने इस न्यायालय का ध्यान नियम 37 के उपबंध (प्रावधान) की ओर आकर्षित किया, जो यह अनिवार्य करता है कि ये नियम उन रिक्तियों या पदों पर लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में विज्ञापन जारी किए जा चुके हों या चयन प्रक्रिया नियम, 2005 के लागू होने से पूर्व प्रारंभ की जा चुकी हो। संक्षेप में, वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क यह है कि नियम, 2005 का कोई भावी (प्रॉस्पेक्टिव) प्रभाव भी नहीं हो सकता। अंत में, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को बिना किसी त्रुटि के अपने हिस्से का दंड क्यों भुगतना चाहिए, जबकि वर्ष 2003 का बैच अंतिम बैच है जिस पर नियम, 2005 को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, उनका तर्क है कि यदि वर्ष 2003 बैच के नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता रोस्टर बिंदुओं के आधार पर न निर्धारित करके मेरिट के आधार पर निर्धारित की जाती है, तो अनेक याचिकाकर्ताओं के लिए आगे किसी भी पदोन्नति की संभावना समाप्त हो जाएगी।

12. उपर्युक्त परिस्थितियों में, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि उनकी याचिका में पर्याप्त सार है। अनुमति प्रदान की जाए तथा अपील स्वीकार की जाए।

13. दूसरी ओर, इस याचिका का निजी उत्तरदाताओं, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य की ओर से उपस्थित संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा जोरदार विरोध किया गया। सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में प्रस्तुत किया कि वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि रोस्टर बिंदुओं के अनुसार, इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हुए उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि, विशेषकर विधि संबंधी कोई त्रुटि, नहीं की गई है। सभी अधिवक्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस संबंध में विधि अब विवादित विषय (रेस इंटेग्रा) नहीं रही है और पूर्णतः स्थापित है।

14. उपर्युक्त परिस्थितियों में, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने प्रार्थना की कि अनुमति प्रदान करने का कोई मामला नहीं बनता है तथा याचिका को निरस्त किया जाए।

<u>विश्लेषण</u>

15. पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के उपरांत, हमारे विचारणीय मुद्दा केवल यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से नियुक्त मुंसिफों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर बिंदुओं के आधार पर किया जाना चाहिए या चयन के समय उनकी पारस्परिक मेरिट क्रम के अनुसार?

16. प्रथम और सर्वप्रथम जिस पहलू को हम स्पष्ट करना चाहते हैं, वह यह है कि प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक मेरिट सूची तैयार करना अनिवार्य है। नियम या नीति में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी भर्ती प्राधिकारी चयन सूची में अभ्यर्थियों को पारस्परिक रूप से केवल सामान्य अनुमान (रूल ऑफ थम्ब) के आधार पर अथवा ऐसी पद्धति अपनाकर स्थान नहीं दे सकता, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की भावना के विपरीत हो। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक मेरिट सूची लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, साक्षात्कार तथा/या सेवा की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अन्य मानकों जैसे अनेक कारकों के सम्मिलित प्रभाव से तैयार की जा सकती है। इसी प्रकार, यद्यपि वर्तमान मामले में यह मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, फिर

भी जहाँ पदोन्नति मेरिट-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, वहाँ केवल वरिष्ठता ही चयन पद पर पदोन्नति के लिए एकमात्र योग्यता नहीं होती है। यदि पदोन्नति का मानदंड मेरिट-सह-वरिष्ठता है, तो तुलनात्मक मेरिट का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, जिसमें वरिष्ठता केवल एक कारक होती है। तथापि, मेरिट-सह-वरिष्ठता के मामले में, कोई कनिष्ठ अधिकारी भी अपने वरिष्ठों से आगे बढ़कर त्वरित पदोन्नति प्राप्त कर सकता है।

17. सेवा न्यायशास्त्र के उपर्युक्त मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अब हम हमारे समक्ष पक्षकारों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले इस विषय से संबंधित निर्णयजन्य विधि पर विचार करने के लिए अग्रसर होते हैं, जो निम्नानुसार है।

18. **आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य**, (1995) 2 एससीसी 745 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> "*5. हमें याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दूसरे तर्क में पर्याप्त बल प्रतीत होता है। विवादित शासकीय निर्देशों के अंतर्गत प्रदान किया गया आरक्षण प्रत्येक विभाग में संधारित किए जाने वाले रोस्टर के अनुसार संचालित किया जाना है। रोस्टर को वर्ष दर वर्ष एक 'रनिंग अकाउंट' के रूप में लागू किया जाता है। 'रनिंग अकाउंट' का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को आरक्षित पदों का उनका प्रतिशत प्राप्त हो। विवादित निर्देशों में 'रनिंग अकाउंट' की अवधारणा का इस प्रकार व्याख्या की जानी चाहिए कि उससे अत्यधिक आरक्षण की स्थिति उत्पन्न न हो। 'पदों का 16% ...' अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित है। 100 पदों के समूह में क्रम संख्या 1, 7, 15, 22, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 80, 87 और 91 पर आने वाले पद रोस्टर में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और चिह्नित किए गए हैं। रोस्टर बिंदु 26 और 76 पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब किसी संवर्ग में भर्ती प्रारंभ होती है, तब रोस्टर में चिह्नित 14 पद अनुसूचित जाति के सदस्यों से भरे जाने हैं। उदाहरणार्थ, किसी संवर्ग का प्रथम पद अनुसूचित जाति को दिया जाना चाहिए और उसके पश्चात उक्त वर्ग क्रमशः 7वें, 15वें, 22वें तथा आगे 91वें पद तक पाने का अधिकार रखता है। जब किसी संवर्ग में रोस्टर के संचालन द्वारा कुल पदों को भर दिया जाता है, तब*

विवादित निर्देशों द्वारा अभिप्रेत परिणाम प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, 100 पदों के संवर्ग में जब रोस्टर में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए चिह्नित पद भर दिए जाते हैं, तब आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात रोस्टर का संचालन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। 'रनिंग अकाउंट' केवल तब तक संचालित किया जाना है जब तक विवादित निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कोटा प्राप्त न हो जाए और उसके पश्चात नहीं। एक बार निर्धारित प्रतिशत के पद भर जाने पर पर्याप्तता की संख्यात्मक कसौटी संतुष्ट हो जाती है और उसके बाद रोस्टर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आरक्षण का प्रतिशत राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों का अपेक्षित प्रतिनिधित्व है तथा यह उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आधारित जनसांख्यिकीय अनुमान के अनुरूप है।पदों का संख्यात्मक कोटा कोई परिवर्तित होने वाली सीमा नहीं है, बल्कि यह विधिवत विचार के पश्चात निर्धारित एक निश्चित संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अतः पिछड़े वर्गों तथा सामान्य वर्ग को समान अवसर सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय यह है कि रोस्टर को तब तक संचालित रहने दिया जाए जब तक संबंधित नियुक्त/पदोन्नत व्यक्ति रोस्टर में उनके लिए निर्धारित पदों पर आसीन न हो जाएँ। इसके पश्चात रोस्टर तथा 'रनिंग अकाउंट' का संचालन समाप्त हो जाना चाहिए। प्रारंभिक पदों के भरे जाने के पश्चात संवर्ग में उत्पन्न होने वाली रिक्तियाँ कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करेंगी। जब भी किसी विशेष पद पर स्थायी या अस्थायी रिक्ति उत्पन्न होगी, उसे उसी वर्ग से भरा जाना होगा, जिससे वह पद रोस्टर में संबंधित था। उदाहरणार्थ, यदि रोस्टर बिंदु 1, 7, 15 पर कार्यरत अनुसूचित जाति के व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इन पदों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से ही भरा जाएगा। इसी प्रकार, यदि रोस्टर बिंदु 8 से 14 अथवा 23 से 29 पर कार्यरत व्यक्ति सेवानिवृत्त होते हैं, तो इन पदों को सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से भरा जाएगा। इस प्रक्रिया का पालन करने से आरक्षण के प्रतिशत में न तो कमी होगी और न ही अधिकता।

19. **बिमलेश तंवर बनाम हरियाणा राज्य**, (2003) 5 एससीसी 604 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"19. यह प्रस्तुत किया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 27-4-1972 के परिपत्र पत्र में जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, रोस्टर बिंदुओं को वरिष्ठता बिंदु नहीं माना जा सकता और यह भी कि चूँकि इन निर्देशों का उच्च न्यायालय द्वारा लंबे समय तक पालन किया गया है, अतः ऐसी प्रथा से विचलित होने का कोई कारण नहीं है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने अजीत सिंह (द्वितीय) के मामले में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि रोस्टर बिंदुओं का उद्देश्य सामान्य वर्ग तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मध्य वरिष्ठता निर्धारित करना नहीं है, अतः विवादित कनर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता।

24. अतः नियम निर्विवाद रूप से मेरिट पर बल देते हैं। वे सभी प्रयोजनों एवं उद्देश्यों के लिए रोस्टर बिंदुओं के आधार पर नियुक्ति के नियम की प्रयोज्यता को बाहर कर देते हैं।

33. यह प्रश्न कि क्या आरक्षित वर्गों के संदर्भ में रोस्टर बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों को भरने के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा, हमारे मत में अब विवादित विषय नहीं रहा है।

40. संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे नागरिक वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 नियुक्ति के मामले में लागू होता है। यह वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करता। अतः वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर बिंदुओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो सकारात्मक कार्रवाई का नियम अनावश्यक रूप से विस्तारित हो जाएगा, जो संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं होगा। हमारा मत है कि पी.एस. गहलोत के मामले में दिया गया निर्णय उचित विधि स्थापित नहीं करता है।"

20. **जी.पी. डोवाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार**, (1984) 4 एससीसी 329 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"16. यह शिकायत की गई कि याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अत्यधिक विलंब के पश्चात इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और न्यायालय को उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं करनी चाहिए। यह इंगित किया गया कि अस्थायी वरिष्ठता सूची 22 मार्च, 1971 को तैयार की गई थी और याचिकाएँ वर्ष 1983 में दायर की गई हैं। अतः उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय को विलंब, उपेक्षा (लेचेस) तथा मौन स्वीकृति (एक्वायसेंस) के आधार पर याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। यह भी कहा गया कि विवादित वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रदान की गई पदोन्नतियों को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती नहीं दी और उन्होंने उसे मौन रूप से स्वीकार कर लिया। हम इस अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उत्तरदाता सं. 1 से 3 ने 12 वर्ष से अधिक अवधि तक वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया और उसी के आधार पर आगे पदोन्नतियाँ देते रहे, जिससे याचिकाकर्ताओं को अत्यधिक नुकसान हुआ। याचिकाकर्ताओं ने लगातार प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, किन्तु उन्हें कोई उत्तर, प्रत्युत्तर या राहत प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता सेवा के निम्न स्तर से संबंधित हैं और यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि उनके लिए न्यायालय की शरण में जाना अत्यंत कठिन रहा होगा। अतः उक्त आपत्ति अस्वीकार की जानी चाहिए।

17. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, ये याचिकाएँ सफल होती हैं और स्वीकार की जाती हैं तथा खांडसारी निरीक्षकों के संबंध में दिनांक 22 मार्च, 1971 की विवादित वरिष्ठता सूची को निरस्त करने हेतु सर्टियोरारी प्रकृति की रिट जारी की जाती है। उत्तरदाता सं. 1 से 3 को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रथम नियुक्ति की तिथि से निरंतर कार्यभार ग्रहण (ऑफिसिएशन) की अवधि के सिद्धांत के आधार पर, बशर्ते कि नियुक्ति के पश्चात राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पुष्टि अर्थात् चयन/अनुमोदन किया गया हो, नई वरिष्ठता सूची तैयार करें। हम तदनुसार आदेश पारित करते हैं, किन्तु मामले की परिस्थितियों को देखते हुए व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।"

21. **कुलदीप चंद बनाम भारत संघ**, (1995) 5 एससीसी 680 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"4. इसके पश्चात अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री एम.एम. कश्यप ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अशोक कुमार ने दिनांक 10-1-1983 तथा 1-8-1983 के अपने अभ्यावेदनों में 23-12-1982 को तैयार की गई वरिष्ठता सूची की शुद्धता पर विवाद किया था, जिन पर विधिवत विचार किया गया और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने इसे अंतिम होने दिया क्योंकि लेखाकार का पद रिक्त होने तक उन्होंने इसे चुनौती नहीं दी। जब उनका दावा अस्वीकार किया गया, तब उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। अपीलकर्ता पर अपनी वरिष्ठता का दावा करने में पर्याप्त विलंब हुआ। यह सत्य है कि वरिष्ठता सूची 23-12-1982 को ही तैयार कर ली गई थी, किन्तु उसके पश्चात कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई और अतः वरिष्ठता के दावे को अस्वीकार किया जाना, उसे प्रतिवादी-संघ के समक्ष विचारार्थ अपीलकर्ता पर वरिष्ठता का दावा करने से वंचित नहीं करता।

5. जब उपर्युक्त तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वरिष्ठता सूची का निर्माण अपने आप में अवैध था। अतः केवल इस तथ्य के आधार पर कि उन्होंने अवैध रूप से तैयार की गई वरिष्ठता सूची को तब तक चुनौती नहीं दी, जब तक लेखाकार के पद पर उनके दावे पर विचार नहीं किया गया, उनके वैध अधिकार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में, लेखाकार के पद के लिए अशोक कुमार के दावे पर विचार करने के संदर्भ में विलंब का कोई महत्व नहीं है।"

22. आरक्षित वर्गों के संदर्भ में रोस्टर बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों को भरने के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा या नहीं, यह प्रश्न, हमारे मत में, अब विवादित विषय नहीं रहा है।

23. **अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य**, (1999) 7 एससीसी 209 में, इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में विधि प्रतिपादित की है:

"40. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब भी कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी प्रारंभिक स्तर (मान लें स्तर-1) पर भर्ती के लिए जाता है, तो वह सामान्य अभ्यर्थी पर लागू होने वाली सामान्य चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरता, बल्कि अपने वर्ग के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति प्राप्त करता है। यही 'आरक्षण' का अर्थ है और यही उसका प्रभाव है।

41. अब ऐसी स्थिति में, जहाँ आरक्षित अभ्यर्थी ने अपनी मेरिट के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि आरक्षित पद का विकल्प चुना है, यदि स्तर-1 पर आरक्षित अभ्यर्थी को विभिन्न रोस्टर बिंदुओं पर स्तर-2 पर पदोन्नति देने के लिए रोस्टर निर्धारित किया जाता है, तो वह आरक्षित अभ्यर्थी, भले ही मेरिट सूची के अंतिम छोर पर हो, सामान्य अभ्यर्थियों से प्रतिस्पर्धा किए बिना स्तर-2 पर पहुँच जाता है और वह अनेक स्थान ऊपर चला जाता है। 100 पदों वाले रोस्टर में यदि रोस्टर बिंदु 8, 16, 24 आदि हैं, तो प्रत्येक ऐसे बिंदु पर मेरिट सूची के अंतिम छोर पर स्थित आरक्षित अभ्यर्थी कई सामान्य अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ते हुए स्तर-2 पर पदोन्नत हो जाता है। यही रोस्टर-बिंदु पदोन्नति का प्रभाव है।

42. यह ध्यान देने योग्य है कि स्तर-1 पर निर्धारित रोस्टर बिंदुओं का उद्देश्य सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों के मध्य स्तर-1 पर किसी प्रकार की वरिष्ठता निर्धारित करना नहीं है। इस पहलू पर हम आगे, मर्विन कॉन्टिन्हो बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स (1966) 3 एससीआर 600 के संदर्भ में पुनः विचार करेंगे। रोस्टर बिंदु केवल तब प्रभावी होते हैं जब स्तर-2 पर आरक्षित पद की रिक्ति उपलब्ध होती है। एक बार ऐसी सभी रिक्तियाँ भर जाने पर रोस्टर अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। इसके पश्चात अन्य आरक्षित अभ्यर्थियों को केवल तभी पदोन्नति दी जा सकती है, जब पहले से भरे हुए आरक्षित रोस्टर बिंदुओं पर पुनः कोई रिक्ति उत्पन्न हो। यही सिद्धांत आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य, (1995) 2 एससीसी 745 में प्रतिपादित किया गया था।"

24. अजीत सिंह II में, इस न्यायालय द्वारा आर.के. सभरवाल के मामले में दिए गए निर्णय की व्याख्या निम्नानुसार की गई है:

"पी.एस. गहलोत बनाम हरियाणा राज्य [(1995) 5 एससीसी 625], जिस पर डॉ. चौहान ने भरोसा किया है, दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है। उस मामले में नियम 13 में यह प्रावधान था कि सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता सेवा के किसी पद पर निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी; साथ ही यह भी प्रावधान था कि प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त दो या अधिक सदस्यों के मामले में आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट क्रम को

वरिष्ठता निर्धारण में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। उक्त नियम के बावजूद निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:"

> *"उदाहरण के लिए, मुख्य सचिव के पत्र में दर्शाई गई रिक्ति सं. 1 और 6 निर्विवाद रूप से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थीं। मान लें कि दस रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती की गई और आरक्षित कोटे के आधार पर अनुसूचित जातियों के तीन अभ्यर्थियों का चयन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या प्रथम अभ्यर्थी को रोस्टर में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे में रखा जाएगा। सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होने के कारण, यद्यपि वह दूसरे और तीसरे अभ्यर्थियों से अधिक मेधावी है, फिर भी उसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रोस्टर बिंदु, अर्थात् बिंदु सं. 1 और 6 पर स्थान नहीं मिलेगा। परिणामस्वरूप अभ्यर्थी सं. 2 और 3 को बिंदु सं. 1 और 6 पर स्थान मिलेगा और प्रथम अभ्यर्थी को चयन समिति या लोक सेवा आयोग द्वारा संधारित मेरिट क्रम के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों के साथ स्थान दिया जाएगा। वह यह शिकायत नहीं कर सकता कि मेरिट के आधार पर चयनित होने के कारण उसे रोस्टर के बिंदु सं. 1 पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान पर ही रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार, यद्यपि सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग या चयन समिति द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में अधिक मेधावी हो, फिर भी जब नियुक्तियाँ की जाती हैं और रिक्तियाँ रोस्टर के अनुसार भरी जाती हैं, तो अनिवार्य रूप से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, भले ही वे मेरिट सूची में कम मेधावी हों, रोस्टर में उन्हें आवंटित स्थानों पर आसीन होंगे। इस प्रकार वे कुछ सामान्य अभ्यर्थियों से आगे निकल जाते हैं और उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों पर वरिष्ठता प्राप्त हो जाती है। यह व्यवस्था संवैधानिक, वैध और मनमानी नहीं है।"*

हम उपर्युक्त दृष्टिकोण से स्वयं को सहमत करने में सक्षम नहीं हो सके।

25. यह उल्लेख करना रुचिकर होगा कि **पी.एस. गहलोत** (उपर्युक्त) में इस न्यायालय द्वारा लिया गया काल्पनिक परिदृश्य, जिसमें दो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एक-दूसरे के विरुद्ध रखा गया था, वास्तव में **बिमलेश तंवर** (उपर्युक्त) के निर्णय के पैरा 36 में उद्धृत किया गया

था और इस न्यायालय ने अभिलिखित किया कि वह सही नहीं था। निर्णय के पैरा 40 में इस न्यायालय ने अंततः निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> *"40. संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे नागरिक वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 नियुक्ति के मामले में लागू होता है। यह वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में कुछ नहीं कहता। अतः वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर बिंदुओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांत का विस्तार हो जाएगा, जो संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं होगा। हमारा मत है कि पी.एस. गहलोत के मामले में दिया गया निर्णय उचित विधि स्थापित नहीं करता है।"*

26. **बिमलेश तंवर** (उपर्युक्त) में जो किया गया था, वह वास्तव में विधि की घोषणा थी। अतः उसका प्रभाव पूर्वलक्षी होगा। **पी.वी. जॉर्ज बनाम केरल राज्य**, (2007) 3 एससीसी 557 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'न्यायालय द्वारा घोषित विधि का पूर्वलक्षी प्रभाव होगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो।'

27. इस न्यायालय को इस तथ्य का भान था, जैसा कि **पी.वी. जॉर्ज** (उपर्युक्त) के निर्णय के पैरा 19 से स्पष्ट है, कि जब 'स्टेयर डेसिसिस' के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है, तो विधि में परिवर्तन नागरिकों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। तथापि, इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि 'प्रॉस्पेक्टिव ओवररूलिंग' के सिद्धांत को लागू करने की शक्ति (ताकि प्रतिकूल प्रभाव को दूर किया जा सके) अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ही प्रयोग की जानी चाहिए।

28. अतः यह स्पष्ट है कि **पी.एस. गहलोत** (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया कोई भी कार्य कायम नहीं रह सकता, क्योंकि **बिमलेश तंवर** (उपर्युक्त) में इस न्यायालय ने 'प्रॉस्पेक्टिव ओवररूलिंग' के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया था। यह इस प्रकार है:-

"(i) भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह [(1995) 6 एससीसी 684] में, इस न्यायालय ने रेलवे द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण को अनुमोदित किया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जिन्हें रोस्टर बिंदुओं पर पदोन्नति प्राप्त हुई है, वे उसी स्तर पर बाद में पदोन्नत हुए वरिष्ठ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के विरुद्ध पदोन्नति स्तर पर वरिष्ठता का दावा करने के अधिकारी नहीं होंगे। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य तथाकथित 'कैच अप नियम' प्रदान करने का अधिकारी है, जिसके अंतर्गत बाद में पदोन्नत हुए वरिष्ठ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, पहले पदोन्नत हुए रोस्टर बिंदु पदोन्नत अभ्यर्थी से ऊपर वरिष्ठता का दावा कर सकते हैं।

(ii) वीरपाल के मामले में प्रतिपादित 'कैच अप नियम' को अजीत सिंह जनूजा बनाम पंजाब राज्य [(1996) 2 एससीसी 715] में तीन सदस्यीय पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया। यह मामला अजीत सिंह (I) के नाम से जाना गया।

(iii) किन्तु, एक अन्य तीन सदस्यीय पीठ ने जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य [(1997) 6 एससीसी 538] में भिन्न दृष्टिकोण अपनाया और अभिनिर्धारित किया कि जहाँ अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) के अंतर्गत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकार मौलिक अधिकार हैं, वहीं पदोन्नति का अधिकार वैधानिक अधिकार है और अतः रोस्टर बिंदु पर पदोन्नत अभ्यर्थियों को उसी आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए, जिस आधार पर किसी पद पर निरंतर कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।"

(iv) चूँकि जगदीश लाल में वीरपाल सिंह और अजीत सिंह (I) में व्यक्त दृष्टिकोणों के विपरीत मत अपनाया गया था, अतः पंजाब राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए। इन अंतर्वर्ती आवेदनों को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, क्योंकि समवर्ती अधिकारिता वाली दो पीठों (दोनों तीन सदस्यीय पीठें) ने परस्पर विपरीत दृष्टिकोण अपनाए थे। इन आवेदनों पर पाँच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ द्वारा दिया गया निर्णय अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1999) 7 एससीसी 209] में अजीत सिंह (II) के नाम से जाना गया।

(v) अंततः, संविधान पीठ ने अजीत सिंह (II) में यह अभिनिर्धारित किया कि रोस्टर बिंदु पर पदोन्नत अभ्यर्थी, पदोन्नत पद पर निरंतर कार्यभार ग्रहण की तिथि से पदोन्नत श्रेणी में अपनी वरिष्ठता की गणना, उस सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में नहीं कर सकते जो निम्न श्रेणी में उनसे वरिष्ठ थे और जिन्हें बाद में पदोन्नति मिली। परिणामस्वरूप, वीरपाल तथा अजीत सिंह (I) को सही रूप से निर्णयित घोषित किया गया और जगदीश लाल के निर्णय को गलत घोषित किया गया।"

29. अतः इस न्यायालय के उपर्युक्त सभी निर्णयों से प्रतिपादित विधि का सिद्धांत यह है कि रोस्टर प्रणाली का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की मात्रा परिलक्षित हो। इसका भर्ती किए गए व्यक्तियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में, रोस्टर बिंदु उन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता निर्धारित नहीं करते जिन्हें एक साथ नियुक्ति प्राप्त हुई हो; अर्थात् वे अभ्यर्थी जिन्हें एक ही तिथि को सामूहिक रूप से नियुक्त किया गया हो या जिन्हें एक ही तिथि से नियुक्त माना गया हो, चाहे उन्होंने अपने पदों का कार्यभार किसी भी समय ग्रहण किया हो। उपर्युक्त रूप से विवेचित विधिक स्थिति उस समय भी प्रभावी मानी जा सकती है जब जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने पूर्ण न्यायालय संकल्प के माध्यम से वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर बिंदुओं के आधार पर करने का निर्णय लिया था।

30. हम वर्ष 2003 में नियुक्त अभ्यर्थियों, अर्थात् वर्तमान याचिकाकर्ताओं, के लिए कोई अपवाद निर्धारित करने के इच्छुक नहीं हैं। हमारे मत में, उच्च न्यायालय ने **बिमलेश तंवर** (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को सही रूप से लागू किया है।

31. इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका हमें संज्ञान लेना आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित कनर्णय एवं आदेश में यह अवलोकन किया है कि चयनित अधिकारियों की नियुक्तियाँ जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) भर्ती नियम, 1967 के नियम 42 के अंतर्गत शासन आदेश दिनांक 06.08.2003 के माध्यम से की गई थीं, जो **बिमलेश तंवर** (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के उच्चारण के काफी पश्चात की गई थीं। यही तथ्य सभी अंतर उत्पन्न करता है।

32. मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित कनर्णय में कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि अथवा अन्य कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, जो हमारी ओर से हस्तक्षेप को उचित ठहराती हो।

33. परिणामस्वरूप, यह याचिका असफल होती है और एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

† शीर्ष टिप्पणियां निधि जैन द्वारा तैयार की गईं।
(सहायक : तम्मना, एलसीआरए)) *अपील खारिज*

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|